

02 $\frac{4}{24}$

हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली नं. 2/1-1/24 को परा हो।

पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी को बार-बार आवाज लगावाई गई कोई हाजिर नहीं इसलिए पत्रावली अदम हाजरी अदम परवी में खरीज की जाती है। पत्रावली फौजदारी नम्बर से उम की जाकर कारकीर्त फौजदारी है।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला हुबुल (राज.)